कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 146/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 16.04.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 16.04.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 16.04.2026
थाना– मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

दहेज उत्पीड़न, मारपीट व सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो वायरल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 17.03.2026 को वादिनी द्वारा थाना मेंहनगर पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसकी शादी गुलाब यादव पुत्र तूफानी यादव निवासी ग्राम मौलिया थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ के साथ हुई थी। शादी के उपरांत ससुराल जाने पर ससुरालीजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा। इस संबंध में पूर्व में भी मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, किन्तु परिजनों के कहने पर समझौता कर लिया गया। पुनः ससुराल जाने के कुछ दिन बाद सास अमला देवी, ससुर तूफानी यादव, पति गुलाब यादव तथा ननद संगीता यादव व पूजा यादव द्वारा वादिनी के साथ मारपीट की गई, जिससे आहत होकर वह अपने मायके आ गई।

आरोप है कि दिनांक 04.02.2026 को वादिनी के पति द्वारा उसके माता-पिता से भी झगड़ा किया गया तथा बीच-बचाव करने पर वादिनी को बुरी तरह मारपीट किया गया। साथ ही अभियुक्त द्वारा इंस्टाग्राम व फेसबुक पर अलग-अलग फर्जी आईडी बनाकर वादिनी की अश्लील फोटो वायरल की जा रही थी। उक्त प्रकरण के संबंध में थाना मेंहनगर पर मु0अ0सं0-89/26 धारा 85/115(2) बीएनएस, 3/4 डीपी एक्ट व 67 आईटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

गिरफ्तारी का विवरण–

इसी क्रम में दिनांक 15.04.2026 को निरीक्षक जयप्रकाश यादव मय हमराह व उप निरीक्षक अक्षय प्रताप सिंह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त गुलाब यादव पुत्र तूफानी यादव निवासी ग्राम मौलिया थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 28 वर्ष को ग्राम मौलिया से समय करीब 14:15 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0- 89/26 संशोधित धारा 85, 89, 115(2), 352, 351(3) बीएनएस, 3/4 डीपी एक्ट व 67 आईटी एक्ट थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

01. निरीक्षक जयप्रकाश यादव, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़।
02. उप निरीक्षक अक्षय प्रताप सिंह, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 16.04.2026

थाना– बरदह, जनपद आजमगढ़

नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

दिनांक 13.03.2026 को वादी द्वारा थाना बरदह पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि एक नाबालिग बालिका, जो वादी के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रही थी, परीक्षा देने गई थी और वहाँ से लापता हो गई। बाद में जानकारी प्राप्त हुई कि अभियुक्त अजय बिन्द निवासी जनपद आजमगढ़ अपने सहयोगी के साथ मिलकर उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। उक्त सूचना के आधार पर थाना बरदह पर मु0अ0सं0- 85/2026 धारा 87, 137(2), 61(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

गिरफ्तारी का विवरण–

इसी क्रम में आज दिनांक 16.04.2026 को उ0नि0 मनीष सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अजय बिन्द पुत्र सुबाष बिन्द ग्राम औरंगाबाद थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़को महुजा मोड़ से समय करीब 10:50 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. अजय बिन्द पुत्र सुबाष बिन्द ग्राम औरंगाबाद थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0- 85/2026 धारा 137(2), 87, 61(2), 64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 मनीष सिंह, थाना बरदह
2. का0 विद्याकान्त, थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 16.04.2026

थाना– अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, मारपीट व अश्लील फोटो वायरल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

दिनांक 30.01.2026 को वादिनी द्वारा थाना अतरौलिया पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्त उमेश चन्द पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम जिगिना करमनपुर थाना तहबरपुर जिला आजमगढ उम्र 34 वर्ष ।द्वारा शादी का झांसा देकर उसके साथ कई वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाया गया। बाद में शादी की बात करने पर अभियुक्त द्वारा वादिनी से दूरी बनाया जाने लगा व वादिनी के साथ मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। साथ ही फोटो एडिट कर अश्लील तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। उक्त प्रकरण के संबंध में थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0- 44/26 धारा 69, 115(2), 351(3) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

गिरफ्तारी का विवरण–

इसी क्रम में आज दिनांक 16.04.2026 को उ0नि0 उमापति गिरी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त उमेश चन्द पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम जिगिना करमनपुर थाना तहबरपुर जिला आजमगढ उम्र 34 वर्ष को गदनपुर अंडरपास से समय करीब 12:05 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. उमेश चन्द पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम जिगिना करमनपुर थाना तहबरपुर जिला आजमगढ उम्र 34 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0- 44/26 धारा 69, 115(2), 351(3) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 उमापति गिरी, थाना अतरौलिया
2. का0 धर्मेन्द्र कुमार यादव, थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 16.04.2026
थाना– मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

जन्मतिथि व पता परिवर्तित कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर दो पासपोर्ट बनवाने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

दिनांक 27.03.2026 को प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर जांच में पाया गया कि एक व्यक्ति द्वारा वर्ष 2009 में एक पासपोर्ट बनवाया गया था, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी थी। इसके उपरांत अभियुक्त द्वारा कूटरचना कर जन्मतिथि व पते में परिवर्तन करते हुए वर्ष 2024 में नए पते से पुनः एक अन्य पासपोर्ट बनवा लिया गया। दोनों पासपोर्ट में अंकित विवरणों में भिन्नता पाई गई, जिससे स्पष्ट हुआ कि कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर धोखाधड़ी की गई है। उक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0- 117/2026 धारा 118(4), 336(2), 338, 340(2) बीएनएस व 12(1) पासपोर्ट अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

गिरफ्तारी का विवरण–

विवेचना के क्रम में आज दिनांक 16.04.2026 को उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर सिकन्दरपुर पुलिया के पास से समय करीब 09:50 बजे मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभियुक्त अरविन्द पुत्र स्व0 हरिश्चन्द हाल पता ग्राम सिकन्दरपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ स्थाई पता ग्राम हरई इस्माइलपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से एक पासपोर्ट बरामद हुआ, जिसे विधिक प्रक्रिया के तहत सील कर कब्जा पुलिस में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. अरविन्द पुत्र स्व0 हरिश्चन्द हाल पता ग्राम सिकन्दरपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ स्थाई पता ग्राम हरई इस्माइलपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी–

एक अदद पासपोर्ट।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0- 117/2026 धारा 118(4), 336(2), 338, 340(2) बीएनएस व 12(1) पासपोर्ट अधिनियम थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 अनिल कुमार सिंह ,थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।
2. का0 रमाकान्त यादव ,थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।